प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.03.2025

सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान म0न0 बी 284 बी ब्लाक लाजपत नगर चौकी शनिचौक थाना साहिबाबाद क्षेत्र में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 01 पीड़ित महिला को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार कराने वाला 01 अभियुक्त व अन्य 02 अभियुक्त(ग्राहक) गिरफ्तार, कब्जे से 03 मोबाइल फोन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 4,330/- रूपये व आपत्तिजनक सामग्री बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 24.03.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि म0न0 बी 284 बी ब्लाक लाजपत नगर चौकी शनिचौक थाना साहिबाबाद क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें भोली भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा बी ब्लाक लाजपत नगर चौकी शनिचौक में दबिश देकर अनैतिक देह व्यापार में 01 पीड़ित महिला को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार कराने वाला 01 अभियुक्त 1. तस्लीम पुत्र मौ0 अब्बास निवासी म0नं0 175 छोटी मस्जिद के पास ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष व अन्य 02 अभियुक्त(ग्राहक) 1. विकास शर्मा पुत्र रविन्द्र कुमार शर्मा निवासी म0नं0 39 चौपला मन्दिर थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष व 2. विकास जैन पुत्र दिनेश जैन निवासी 137 चौपला मन्दिर के पास थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष को बी ब्लाक लाजपत नगर चौकी शनिचौक थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त तस्लीम पुत्र मौ0 अब्बास उपरोक्त ने बी ब्लाक लाजपत नगर साहिबाबाद में एक फ्लैट 10,000/- रूपये किराये पर लिया था, किराये पर लिए गए फ्लैट में अभियुक्त उपरोक्त अनैतिक देह व्यापार करने लगा। जिसमें मोबाइल फोन से व्हाट्सअप के माध्यम से अभियुक्त उपरोक्त ग्राहकों को फोटो भेजकर बी ब्लाक लाजपत नगर का पता देकर बुलाता था और प्रतिग्राहक 500 रूपये लेता था। जिसमें से अभियुक्त उपरोक्त प्रति महिला 250 रूपये देता था, बाकी बचे हुए रूपये अभियुक्त रख लेता तथा अन्य दोनों अभियुक्तों(ग्राहक) के फोन को चैक किया गया तो पीड़िताओं के फोटो एवं ग्राहकों के साथ रेट के सम्बन्ध में की गई चैट पायी गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1. तस्लीम पुत्र मौ0 अब्बास निवासी म0नं0 175 छोटी मस्जिद के पास ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।
2. विकास शर्मा पुत्र रविन्द्र कुमार शर्मा निवासी म0नं0 39 चौपला मन्दिर थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष।
3. विकास जैन पुत्र दिनेश जैन निवासी 137 चौपला मन्दिर के पास थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

03 मोबाइल फोन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 4,330/- रूपये व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपारधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

दिनांक 22.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा एक तहरीर दी गई कि वादिया के पति सुन्दर द्वारा वादिया के साथ गाली गलौज करना तथा जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा- 109/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुन्दर पुत्र मंगू निवासी आदर्श नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि अपनी पत्नी से मेरी कहा-सुनी चल रही थी। वह काफी दिन से मुझसे दूर रह रही थी। मैं उसे फोन करके अपने पास बुला रहा था परन्तु वह नही आ रही थी। इसी बात को लेकर मैंने गुस्से में आकर जान से मारने की नीयत से उसको चाकू मार दिया था और मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुन्दर पुत्र मंगू निवासी आदर्श नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध गांजे की 280 पुडिया (कुल वजन 01 किलो 250 ग्राम) बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 25.03.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम चेंकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अमन पुत्र मुबारक निवासी म0न0 ई-43 मच्छी मार्केट न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष को करण गेट की तरफ सर्विस रोड़ पर डीएवी कट के पास से अवैध गांजे की 280 पुडिया (कुल वजन 01 किलो 250 ग्राम) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अमन पुत्र मुबारक उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अमन पुत्र मुबारक उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त के पास से गांजे की 280 पुडिया मिली है जो अभियुक्त उपरोक्त द्वारा चलते फिरते व्यकितयों को थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में बेचता है। अभियुक्त उपरोक्त बरामद गांजे को सीमापूरी दिल्ली से लाता है। जिसे आस-पास के क्षेत्रों में नशा करने वाले व्यक्तियों को घूम- घूम कर बेचता है और गांजा बेचने से प्राप्त पैसों से अपना खर्च चलाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमन पुत्र मुबारक निवासी म0न0 ई-43 मच्छी मार्केट न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध गांजे की 280 पुडिया (कुल वजन 01 किलो 250 ग्राम) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अमन पुत्र मुबारक उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस का एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।